संख्या-75/2015/887जेएल/22-3-15-800(259)/2013

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
बॉदा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2015***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी राम प्रताप पुत्र श्री मोहन यादव, निवासी-ग्राम-तातिल, थाना-सलेमपुर, जिला-देवरिया को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी राम प्रताप पुत्र श्री मोहन यादव, निवासी-ग्राम-तातिल, थाना-सलेमपुर, जिला-देवरिया को शासनादेश संख्या-100/3135जेएल/22-3-14-800(259)/2013, दिनांक 18-12-2014 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-75/2015/887जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in